

अलय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

त्रुटिकेश बनाम तेजराम वगैरे

सं म	हुकम या कार्यवाही मय इनि गयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
2021	<p>आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जयें अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 12.1.2022 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 392/558 रकबा 0.16, वाके ग्राम टोहरी तथा आराजी ख0न0 407 रकबा 0.48, 408 रकबा 0.26, 409 रकबा 0.27, वाके ग्राम तरवाला एवं 231 रकबा 0.16, 241 रकबा 0.16, 203 रकबा 0.37, 209 रकबा 0.20, 211रकबा 0.37, 212 रकबा 0.46, 215 रकबा 0.49, 222 रकबा 0.77, 227 रकबा 0.15, 235 रकबा 0.39 वाके ग्राम साथलका ख0न0 198 रकबा 0.13, 199 रकबा 0.13, वाके ग्राम इसैपूर तहसील किशनगढबास के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।</p> <p>क्यो ना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, वकील प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी. तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 12.1.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास(अलवर)</p> <p>12/1/22 पत्रायली पेश हुई। पी.अ. राहल अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बहर पयारे हैं। उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक: 16-3-22 को पेश थे।</p> <p style="text-align: right;">रज</p>	

16-3-22 वकील वादी अपन मिसल वास्ते तलबी कि 19-4-22 को पेश थे।

न अदालत श्रीमान के समक्ष पेश कर दिया है कि जिसमें कामयाबी की पूरी पूरी आशा है।

प्रतीकेश

19-4-22

कमील वकील अपो / मिसल वकील  
दिनांक 12-7-22 को पेश हैं।

उपखण्ड प्रधिकारी  
किशनगढ़वास (अजमेर)

12-7-22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब  
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।  
जयपल के अभि.उप. आयन्दा दिनांक... 19-9-22  
को पेश हो।

रिडर

19-4-22 पत्रावली पेश हुई। वकील का मूलवाद अदालत  
द्वारा अदालत पेशी में खारिज किया  
जाता है। अतः जयपल भी खारिज कि-  
याकर सलम मूलवाद रहे।

उपखण्ड प्रधिकारी  
किशनगढ़वास (अजमेर)